न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निग – 3318 – II 16

1. मु0मुनकी देवी वेवा पत्नी मंतेलाल गुप्ता निवासी हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0।
2. इन्द्र कुमार तनय स्व0 मंतेलाल गुप्ता
3. बिठ्ठल लाल तनय स्व0 मंतेलाल गुप्ता
4. सच्चितानंद तनय स्व0 मंतेलाल गुप्ता
5. लवकुश कुमार तनय स्व0 मंतेलाल गुप्ता
6. पवन कुमार तनय मंतेलाल गुप्ता उपरोक्त संभी निवासी हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0। .....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. संजय कुमार तनय स्व0 श्रीनाथ गुप्ता निवासी हनुमना तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0। .....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध राजस्व निरीक्षक तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के संशोधन प्रकरण कमांक 75ए–12/2015–16 पारित आदेश दिनांक 11/07/2016 के आदेश एवं प्रकरण कमांक 39–ए–12/2014–15 पारित आदेश दिनांक 01/4/2015 दोनो आदेश को निरस्त किये जाने।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3318–दो / 2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25 –8–2016	आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक तहसील हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 75 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 11–7–2016 एवं 38 / ए–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध सत्यापित प्रतियों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम यह निगदानी अधीनस्थ न्यायालय के दो अलग–अलग आदेश दिनांक 11–7–16 एवं 01–4–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदकगण को दोनों आदेशों के विरूद्ध पृथक–पृथक निगरानी प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह निगरानी इसी तकनीकी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है क्योंकि एक आदेश दिनांक 01–4–2015 का है जिसे इसी निगरानी में चुनौती दी गई है और उक्त आदेश के विरूद्ध समय–सीमा की गणना भी उसी दिनांक से किये जाने से समयबाधित निगरानी हो जाती है। सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय अनावेदक की भूमि पर आवेदकगण का किसी	

प्रकार का अवैध कब्जा नहीं पाया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदकगण किसी प्रकार उक्त सीमांकन से हितबद्ध हैं यह स्पष्ट नहीं है। स्थल पंचनामा के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा सीमांकन के समय उपस्थित होने पर हस्ताक्षर करने से इंकार करने संबंधी टीप है। जहां तक विचाराधीन आदेश का प्रश्न है राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रश्नांकित भूमि के सीमांकन कार्यवाही में सीमावर्ती कृषकों को सूचना देने के उपरांत सीमांकन की कार्यवाही है जिसमें आवेदकगण की ओर से आपत्ति भी राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। राजस्व निरक्षीक द्वारा आवेदकगण की आपत्ति का निराकरण कर अंतिम आदेश पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं है। यदि आवेदकगण उक्त सीमांकन से संतुष्ट नहीं है तो स्वयं की भूमि का सीमांकन कराने के स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। तहसीलदार का आदेश दिनांक 9–6–15 यथावत रखा जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस.एस. अली)
सदस्य